न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

प्रकरण स. (57/2018) 16/2023

भंवरलाल पुत्र घासी जाट निवासी ग्राम करांटी पंचायत समिति भिनाय जिला अजमेर

बनाम

1. हीरालाल पुत्र श्रीराम जाट निवासी ग्राम करांटी
2. ग्राम पंचायत करांटी जरिये सरपंच/ग्राम सेवक एंव पदेन सचिव ग्रा.पं. करांटी ।
3. पंचायत समिति भिनाय जरिये प्रधान/विकास अधिकारी पं.स. भिनाय, जिला अजमेर।

निगरानी प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

उपस्थितः—

1. श्री मिठूसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री महावीर गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

निर्णय

दिनांक 09.10.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपने परिवार के साथ ग्राम करांटी में आबादी भूमि में बने अपने मकानों में पूर्वजों के समय से अलग—अलग निवास करते आ रहे है, जिनके सार्वजनिक आम रास्ते से आने जाने का सुखाचार प्राप्त है। उस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 2 से मिली भगत कर गुपचुप तरीके से विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल पट्टा सं. 1 बुक नं. 20 दिनांक 22.02.2014 जारी किया है। जबकि मौके पर अप्रार्थी का कोई मकान इत्यादि नहीं है एवं आम रास्ते की भूमि को पट्टा में वर्णित क्षेत्रफल में जोड़कर जारी किया है जो बिना सार्वजनिक सूचना एवं बिना मौका रिपोर्ट तैयार किये बिना पड़ौसियों से आपत्ति प्राप्त किये अवैधानिक रूप से जारी किया है निरस्तनीय है। यह कि अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 ने पट्टा सं. 30 दिनांक 20.04.2016 को जारी किया है जो अप्रार्थीगण की नियत में खोट जाहिर करता है। प्रार्थी ने एक शिकायत पत्र बाबत पट्टा निरस्तीकरण दिनांक 17.09.2018 को जिला कलक्टर महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर, संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को प्रस्तुत किया परन्तु न्यायालय के अनुतोष हेतु प्रार्थी को हिदायत दी इस कारण यह निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपित पट्टा निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी अपने पुश्तैनी मकान व बाड़े में निवास करता है। अप्रार्थी को अप्रार्थी सं. 2 सरपंच/ग्राम सेवक, वार्ड पंच एवं गांव के व्यक्तियों को साथ ले जाकर मौका निरीक्षण करने के बाद आम रास्ते को छोड़कर नाप चौप कर पट्टा जारी किया गया है। जिसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। अप्रार्थी के गांव में दो बाड़े है जिसमें अप्रार्थी का पुत्र शिवराज व

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

सांवरलाल मकान बनाकर निवास करते है। जिसमें दिनांक 22.02.2014 को ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाकर अपने पुत्र शिवराज को दे दिया जिसमें वह मकान बनाकर रह रहा है। जिसमें प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी ने उसकी गैरमौजूदगी में उसके पट्टेशुदा बाड़े की भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से बनाई गई दीवार को हटाकर पूर्व स्थिति कायम करने के लिये न्यायालय सिविल न्यायाधीश में दावा कर रखा है। जो विचाराधीन है। जिसकी आड़ में उसने बचने के लिये यह झूठी निगरानी पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को जारी पट्टा 423 वर्गगज का जारी किया गया जबकि नियमानुसार अधिकतम 300 वर्गगज का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। मौके पर कोई आवासीय मकान नहीं है केवल कच्ची दीवार पर चद्दर डालकर बाड़ा बना हुआ है। पट्टा की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी में थी जिस पर बिना नीलामी के अविधिक रूप से पट्टा जारी किया गया जिससे राजस्व हानि भी कारित हुई। प्रार्थी ने उक्त अवैध पट्टे की शिकायत संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर एवं जिला परिषद अजमेर में की तथा जिला परिषद की रिपोर्ट अनुसार में भी उक्त पट्टा संख्या 1 बुक संख्या 20 दिनांक 22.02.2014 को नियम विरूद्ध माना है। प्रस्तुत अपील सुनने का माननीय न्यायालय को पूर्ण अधिकार है तथा जानकारी से अन्दर मियाद ही यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित पट्टा खारिज किया जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी वकील ने कथन किया कि प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत द्वारा नियमानुसार जांच कर प्रस्ताव लिया तथ सभी विधिक प्रावधानों के तहत पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा पंजीकृत है जिससे माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार ना होकर माननीय सिविल न्यायालय को है। पंचायत द्वारा विधिवत शुल्क प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया तथा पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही लगभग सालभर तक चली है उस दौरान अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पंचायत को प्रस्तुत नहीं की। प्रार्थी ने यह निगरानी मियाद के बाद पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा आज बहस में जो तथ्य दिये है उनका पूरी निगरानी में कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकरण से संबंधित एक वाद माननीय सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। पंचायत समिति केकड़ी एवं जिला परिषद अजमेर द्वारा उक्त पट्टा निरस्त किये जाने बाबत किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया है और ना ही इस बाबत कोई कार्यवाही की है। प्रार्थी द्वारा बतायी गयी रिपोर्ट केवल मात्र अग्रेषण पत्र है। प्राथी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे जाहिर हो कि दिया गया पट्टा रास्ते की भूमि पर जारी हो तथा ग्राम पंचायत की जांच एवं अन्य दस्तावेज में भी ऐसा अंकन नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की है जो खारिज की जावे।

(चन्दशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, केकड़ी

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार "जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हें अधिकतम 300 वर्गगज भूमि का पट्टा पुराने कब्जे के आधार पर जारी किये जाने का प्रावधान है। इससे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि जमा करके भूखण्डधारी के उपयोग में आ रही कब्जाशुदा सम्पूर्ण आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है।" हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा 423 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। जिसके लिये जिला स्तरीय समिति की सिफारिश प्राप्त नहीं की गयी है। पंचायत द्वारा प्रस्तुत पट्टा के मूल रिकार्ड में जांच रिपोर्ट वार्डपंचगण एवं नक्शा फर्द में व्हाइटनर से संशोधन किया गया है लेकिन उक्त संशोधित अंकन का प्रमाणिकरण नहीं किया गया है। इस संबंध में पंचायत समिति भिनाय की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2018 के अनुसार मौके पर कोई पुराना आवासीय गृह का निर्माण व निवास नहीं है एवं खुला व खाली भूखण्ड है। जो उपरोक्त नियम 157 पुराने गृहों के विनियमितिकरण नियम के अन्तर्गत नहीं आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रश्नगत निगरानी में पट्टा जारी करने वाली ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं किया जाने एवं बिना कब्जे की जांच किये पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत करांटी पंचायत समिति भिनाय द्वारा हीरालाल पुत्र श्रीराम जाट निवासी करांटी को जारी पट्टा संख्या 01 बुक संख्या 20 दिनांक 22.02.2014 को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/10/25

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी